राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग –8)

- 6 AUG 2018

क्रमांक प. 8(13)(14)/ग्रावि/अनु.–8/SPMRM/प्रथम फेज/सामान्य/2017 जयपुर, दिनांक : 06.08.2018

परिपत्र

'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन' योजनान्तर्गत चयनित क्लस्टरों के विकास कार्यों के लिये प्रावधित सीजीएफ राशि के उपयोग/व्यय हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं :–

1. 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन' योजना के अन्तर्गत डीपीआर में सम्मिलित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
2. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु जिला कलेक्टर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
3. योजनान्तर्गत सीजीएफ मद से स्वीकृत राशि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 (समय–समय पर संशोधित) के प्रावधान लागू होगें।
4. 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन' के सीजीएफ मद की राशि जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के संयुक्त हस्ताक्षर से संबंधित कार्यकारी संस्थाओं/विभागों को हस्तान्तरित की जा सकेगी।
5. योजना के कार्य निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधान लागू होगें।
6. योजनान्तर्गत डीपीआर में शामिल कार्यों की स्वीकृति जारी करने के पूर्व अभिसरण की 70 प्रतिशत राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही सीजीएफ मद से दी जाने वाली 30 प्रतिशत राशि स्वीकति की जा सकेगी।
7. प्रथम हस्तान्तरित किश्त के कार्य सम्पादन, मूल्यांकन एवं समायोजन के उपरान्त कार्यकारी एजेंसी को अग्रिम राशि हस्तान्तरित की जा सकेगी।
8. योजना मद में स्वीकृत कार्यों पर 30,30,35,5 प्रतिशत चार किश्तों में राशि देय होगी।
9. योजना की अनुमोदित डीपीआर अनुसार कन्वर्जेंस की राशि उपलब्ध होने की स्थिति में सभी कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेगी।
10. योजना मद में कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 पैरा 7.3.3 तथा परिपत्र दिनांक 17.09.2014 व 27.03.2018 लागू होंगे।
11. योजना में ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 में पैरा 7.3.3 बिन्दु संख्या 1 एवं नोट संख्या 4 लागू नहीं होगा।
12. योजना मद में कन्वर्जेंस से स्वीकृत होने वाले कार्यों में सम्बन्धित विभाग अपने कन्वर्जेंस मद की राशि की स्वीकृति जारी करेंगे। सीजीएफ मद से दी जाने वाली राशि की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।
13. प्रथम हस्तान्तरित किश्त के कार्य सम्पादन, मूल्यांकन एवं समायोजन के उपरान्त कार्यकारी एजेंसी को अग्रिम राशि हस्तान्तरित की जा सकेगी।
14. योजना के कार्यों पर राशि हस्तान्तरण एवं व्यय राशि के समायोजन की प्रकिया ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानानुसार किया जा सकेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. जिला कलक्टर भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, हनुमानगढ़ व डूंगरपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5), राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.), भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, हनुमानगढ़ व डूंगरपुर।
9. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाडमेर, नागौर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, हनुमानगढ़ व डूंगरपुर।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कांमा (भरतपुर), लूणी (जोधपुर), गोगून्दा (उदयपुर), बालोतरा (बाडमेर), मकराना (नागौर), अरनोद (प्रतापगढ़), गढ़ी (बांसवाड़ा), दूदू (जयपुर), बीकानेर (बीकानेर), रामगढ़ (अलवर), रानीवाड़ा (जालौर), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ), सीमलवाड़ा (डूँगरपुर), बांसवाड़ा (बांसवाड़ा) व पीलीबंगा (हनुमानगढ़)।

06/09/18

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)